

23/5/24

इतिवत्तु उम्प पक्ष उद्योगित । आदेश
दिनांक 9/3/2023 से उद्योग में कार्यवृत्ति
समाप्त करने के आदेश दिए हैं उम्प आदेश
अनुसार प.जे 180/2015 निर्देश दिनांक 27/1/2016
के विरुद्ध अपीलिय आग्रहण के निर्देश के पर्यन्त
इस प्रकार से अग्रिम कार्यवृत्ति हो लगेगी ।
अतः कार्यवृत्ति समाप्त होने से पहले उद्योग के
काम से काम हो । अपीलिय आग्रहण के निर्देश
के पर्यन्त प्रकार पुनः एक बार उम्प परामर्श को
प्रतिदिन जाकर अग्रिम कार्यवृत्ति की जाये

(बीनू देवल)

सहायक कलक्टर एवं
उपस्थित अधिकारी
विश्रीइयद (पञ.)